

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1328

दिनांक 20/06/2022

प्रार्थीगण :-

1. वीरमाराम पुत्र भगाराम
जाति विश्नोई,
निवासी जम्भेश्वर नगर, चौहटन
जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1. सूरजकंवर पुत्र किशनसिंह 2. भूरसिंह पुत्र
नाथूसिंह 3. मांगूकंवर/मूलसिंह
4. धनसिंह पुत्र दुर्गसिंह के का.मु. :-
4/1. चतरसिंह पुत्र हड़वंतसिंह
4/2. जगमालसिंह पुत्र भोपालसिंह
जातियान राजपूत, निवासी सणाऊ
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 290/2018

दिनांक : 20.06.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र सणाऊ के मौजा सणाऊ के खेत खसरा सं. 713/168 रकबा 38.16 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1329 to 1332
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी वीरमाराम
3. विप्रार्थीगण सूरजकंवर वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक चौहटन 20/06/2022



(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन